संख्या-01/2016/2658/26-2-2015-100(2)/2007

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 12 जनवरी, 2016

विषयः- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र सं0-1105/ स0क0/वृ0पें0यो0/2015-16, दिनांक 21.12.2015 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-27/2526/26-2-2015-100(2)/2007, दिनांक 21.11.2015 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-8 में यह उल्लिखित है किः-

> ''सम्बन्धित आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा-आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र एवं बैंक-खाता सम्बन्धी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टिस्वरूप अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर साथ में संलग्न करते हुए आनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि के 03 कार्य दिवसों के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा किया जायेगा तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर ''कम्प्यूटर जनरेटेड'' प्राप्ति-रसीद प्राप्त की जायेगी।''

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का समय 03 कार्य दिवस की समय-सीमा को बढ़ाकर 07 कार्य दिवस किया जा रहा है। इस प्रकार आनलाइन आवेदन किये जाने की तिथि से लेकर लाभार्थी को धनराशि भुगतान की अधिकतम अवधि बढ़कर 49 दिन हो जायेगी।

3- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 21.11.2015 में अन्य समयबद्ध व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-01/2016/2658(1)/26-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय, उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।

5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।